न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन होंगे पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केरल हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन को पटना हाइकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिये अपनी अनुशंसा की है।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजेगा। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की सहमति के बाद के. विनोद चंद्रन को पटना हाइकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की अधिसूचना जारी होगी।
- विदित है कि पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने के बाद से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। वर्तमान में पटना हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाइकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इससे पहले न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायधीश बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन फिर कॉलेजियम ने अधिक रिक्तियों और मुख्य न्यायधीशों के सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश को वापस ले लिया था।
- इसके बाद जस्टिस के. विनोद चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य नयायधीश बनाया गया। के. विनोद चंद्रन 24 अप्रैल 2025 को रिटायर होने वाले हैं।
- गौरतलब है कि 13 दिसंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश के विभिन्न कोर्ट से तीन चीफ जस्टिस और दो जस्टिस के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जज के लिये की थी। इसमें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कारोल और जस्टिस अहसानूद्दीन अमानुल्लाह का नाम भी शामिल था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/justice-k-vinod-chandran-will-be-the-chief-justice-of-patna-high-court